न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी,
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)
रिमाण्ड प्रकरण संख्याः– 32/2024

अपीलार्थीः–

01 श्रीमती नैनी देवी पुत्री स्व0 लूणाराम, पत्नी जवरीलाल, जाति सोनार, निवासी–ग्राम दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः–

01. कुनाराम पुत्र स्व0 लूणाराम, जाति सोनार, निवासी–ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
02. सुखराम पुत्र खेताराम,
03. भंवरलाल पुत्र खेताराम,
04. सुरजाराम पुत्र खेताराम,
05. ओमप्रकाश पुत्र खेताराम,
    जातियान् बिश्नोई, निवासीगण–ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
06. ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

01. **श्री यश शर्मा, अधिवक्ता (अपीलार्थी की ओर से)**
02. **श्री दिवाकर शर्मा, अधिवक्ता (प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से)**

निर्णय **दिनांक** 8/1/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 34 रकबा 56 बीघा 16 बिस्वा बाबत् ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 776 दिनाक 07 अक्टूम्बर 1996 को अपास्त किया जाने का निवेदन किया। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा उभय पक्षकारो को सुनने के पश्चात् अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर दिनांक 09 मई 2018 को खारिज कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त अपील मे उभय पक्षकारो को सुनने के पश्चात् निर्णय दिनाक 12 अगस्त 2024 के जरिये अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09 मई 2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभय

पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावें ओर सम्बन्धित कानूनी एवं विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः न्यायोचित एवं विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

अधिनस्थ न्यायालय में पुनः उपरोक्त अपील को रिमाण्ड प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया। तत्पश्चात्अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के तहत् खसरा संख्या 34 रकबा 56 बीघा 16 बिस्वा ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की भूमि में से बेचान की गई भूमि में से शेष बचे रकबे में स्व0 लूणाराम के सभी विधिक वारिसान् के नाम अमल दरामद किये जावें। राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 केद्वारा राजीनामा हस्ताक्षरित किया गया तथा न्यायालय के आदेशिका पर भी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये गये। राजीनामा तस्दीक किया गया।

आदेश

अतः अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 776 दिनांक 07 अक्टूम्बर 1996 को अपास्त व निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को दिशा निर्देशित किया जाता है कि स्व0 लूणाराम के सभी वारिसान् के बाबत् जांच कर खसरा संख्या 34 ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में बेचान की गई में से शेष बचे रकबे में स्व0 लूणाराम के सभी वारिसान् का नाम अमल दरामद किया जावें। यदि इसमे किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो पक्षकारान् से राजस्व की वसूली कर वारिसान का नाम अमलदरामद किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हा

(पुखराज कांसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, जिला जोधपुर।